भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3294
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

निर्भया फंड के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा

3294. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्भय फंड के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश को, विशेषकर छिंदवाड़ा जिले में, प्राप्त हुए लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार उक्त जिले में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वन स्टॉप सेंटर, महिला सहायता सेवाओं और अन्य सुरक्षा अवसंरचना के विस्तार पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करने तथा त्वरित सहायता तंत्र स्थापित करने हेतु कोई विशेष अभियान चला रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार उक्त राज्य में निर्भया फंड के प्रभावी और त्वरित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना लागू कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): देश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा संरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्भया कोष की स्थापना एक समर्पित गैर-व्यपगत कोष के रूप में की गई है, जिसका प्रशासन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी रूपरेखा एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। निर्भया कोष के अंतर्गत स्थापित संस्थागत तंत्र में परियोजनाओं की परिकल्पना, क्रियान्वयन एवं निगरानी

के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को शामिल करते हुए समन्वित दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं की परिकल्पना एवं योजना तैयार कर उन्हें अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष मूल्यांकन एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुशंसा किए जाने के उपरांत संबंधित प्रायोजक मंत्रालय की सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात, परियोजना निर्भया कोष से संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों का आवंटन किया जाता है। निर्भया कोष के अंतर्गत संचालित परियोजनाएँ एवं योजनाएँ मांग-आधारित होती हैं तथा सामान्यतः उनका क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से किया जाता है। इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रायोजक मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों की होती है।

अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर संबंधित प्रायोजक मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति तथा अनुमोदित परियोजनाओं पर किए गए व्यय की स्थिति की भी समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने-अपने स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 तक निर्भया कोष के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं, जिनमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन परियोजनाएँ भी सम्मिलित हैं, के लिए कुल 320.71 करोड़ रुपये की राशि जारी/उपयोग की गई है।

वन स्टॉप सेंटर देशभर में निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित तथा संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराता है। यह केंद्र देशभर की जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। वर्तमान में देशभर में 991 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। योजना के प्रारंभ अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक इन केंद्रों के माध्यम से 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 63 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, जिनके माध्यम से अब तक 1,65,475 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इनमें से छिंदवाड़ा में संचालित एक वन स्टॉप सेंटर द्वारा अब तक 1,095 महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

महिला हेल्पलाइन-181 के माध्यम से महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि उन्हें आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जा सके। यह हेल्पलाइन हिंसा से प्रभावित महिलाओं

को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी भी प्रदान करती है। योजना के प्रारंभ अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक देशभर में महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। 30 जून, 2026 तक मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन -181) के माध्यम से 3,83,834 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

सहायता सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने तथा विभिन्न सेवाओं के मध्य तालमेल को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटरों को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है। अब तक 661 वन स्टॉप सेंटरों का महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकरण किया जा चुका है। इस एकीकरण के माध्यम से महिलाओं को आवश्यकतानुसार उपयुक्त सेवाओं के लिए समयबद्ध एवं समन्वित रूप से रेफर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, महिला हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली -112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) तथा अन्य संबंधित सेवा प्रदायगी तंत्रों के साथ भी एकीकृत किया गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, दीर्घकालिक संस्थागत सहायता, पुनर्वास एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता वाली महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटरों का शक्ति सदन के साथ भी एकीकरण किया गया है और इसके माध्यम से मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की निरंतर एवं समग्र देखभाल सुनिश्चित की जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक- I

'निर्भया फंड के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा' के संबंध में दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3294 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(राशि करोड़ रुपये में)

गृह मंत्रालय						**एमओआरटीएच***	**न्याय विभाग****	**म.बा.वि.मंत्रालय#**				**पर्यटन विभाग**	
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली	केंद्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि (सीवीसीएफ)	महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराधों की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक तथा संबंधित सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी)	बलात्कार तथा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लंबित विचाराधीन मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)	महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)	मध्य प्रदेश सरकार का 'महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त स्मार्ट एवं सुरक्षित शहर' कार्यक्रम	मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	**कुल जारी/उपयोग की गई राशि (करोड़ में)**
जारी/उपयोग की गई राशि	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**	**जारी/उपयोग की गई राशि**		
14.19	21.80	3.91	8.66	10.65	6.93	4.19	127.29	101.37	3.60	0.30	1.04	**16.78**	320.71

* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

** न्याय विभाग

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय